# राजस्थान–सरकार

## कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक प–5(  ) आ.कृ. / एनएमओओपी / फेंसिंग / 2017–18 / 4217-4388 दिनांकः– 21-7-17

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त), ....................
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद  समस्त ............................
3. परियोजना निदेशक(आत्मा) समस्त जिला ..............
4. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त..............
5. परियोजना निदेशक सी.ए.डी. कोटा
6. उपनिदेशक कृषि इ.गा.न.प. बीकानेर

**विषयः– एनएमओओपी अन्तर्गत कान्टेदार तारबन्दी के प्रभावी आयोजन हेतु दिशा–निर्देश एवं भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2017–18।**

राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन अन्तर्गत कान्टेदार तारबन्दी कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन का नीलगाय व आवारा पशुओं द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान है। लघु–सीमान्त श्रेणी के किसानों को लक्षित कर मदवार व जिलेवार कान्टेदार तारबन्दी के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया जा रहा है।

जहां एक से अधिक उप–जिला (कलस्टर) स्तर के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) है, उनको क्षेत्र के आधार पर मदवार (सामान्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) भौतिक व वित्तीय लक्ष्य आवंटित कर सूचना 31 जुलाई, 2017 तक कृषि आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। कान्टेदार तारबन्दी कार्यक्रम के आयोजन में दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे। दिशा–निर्देशों की प्रति सभी सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों व कार्मिक विशेषतः कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्नः–

1–दिशा–निर्देश (पेज सं0–1–10)
2–भौतिक वित्तीय लक्ष्य आवंटन( पेज सं0–11)

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

कमांकः–प–5( ) आ.कृ. / एनएमओओपी / फेंसिंग / 2017–18 / 4217-4388 दिनांकः– 21-7-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, रा0 जयपुर।
3. जिला कलेक्टर,(समस्त) / अध्यक्ष, आत्मा एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन..............
4. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, कृषि, राज0, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक कृषि / विस्तार / आदान / अनु0 / मुख्यालय, जयपुर।
6. निदेशक, समेति आत्मा, कृषि निदेशालय, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक,राजफैड, भवानी सिंह रोड, जयपुर।
8. महा प्रबन्धक, राज0 राज्य बीज निगम / क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक कृषि, योजना, मुख्यालय जयपुर।
10. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक कृषि,(योजना / पौध संरक्षण / ज.उ.प्र. / गुण नियन्त्रण / ए.टी.सी. / एम एण्ड ई / रसायन / आदान) को एरिया नोडल ऑफिसर के रूप मे पर्यवेक्षण हेतु।
12. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डजयपुर / भरतपुर / गंगानगर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / भीलवाडा / सीकर / जालौर / बीकानेर।
13. संयुक्त निदेशक कृषि, पौध व्याधि, राईजाबिया स्कीम, दुर्गापुरा, जयपुर।
14. उप निदेशक कृषि, (विस्तार / अभियांत्रिकी / रसायन / सूचना) , मुख्यालय जयपुर।
15. उप निदेशक कृषि,(सांख्यिकी), कृषि निदेशालय जयपुर को आंकडे कम्प्यूटर मे फीड करवाने हेतु प्रेषित है।

(आर0 ~~के0~~ यादवेन्द्र)
संयुक्त निदेशक, कृषि (एनएमओओपी)

# तारबन्दी निर्माण के मुख्य प्रभावी बिन्दू

- एनएमओओपी में फ्लैक्सी फण्ड में लोकल नीड पर आधारित कार्यक्रम।
- राज्य के समस्त जिले जहॉ आवारा पशु/नीलगाय का खतरा हो।
- कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि।
- आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य।
- लधु–सीमान्त श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र।
- तारबन्दी हेतु कृषकों को अधिकतम 400 मीटर की सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 40,000/– जो भी कम हो अनुदान देय है।
- 400 रनिंग मीटर से कम लम्बाई की तारबन्दी पर अनुदान राशि की गणना प्रोरेटा बेसिस पर की जाकर अनुदान देय होगा।
- जिले को आवंटित लक्ष्यो का उप निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा जिलों में स्थित उप खण्डवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जावेगा। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के द्वारा आवंटित लक्ष्यों का विभाजन ब्लॉकवार किया जावेगा।
- तारबन्दी किये जाने से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
- अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा।
  - कुल लक्ष्यो में से,
    - अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत,
    - अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत,
    - महिला श्रेणी कृषकों को 30.0 प्रतिशत भागीदारी हेतु प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

२१५

# कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

## वर्ष 2017–18

## कान्टेदार तारबन्दी के विस्तृत दिशा–निर्देश

राज्य में आवारा पशुओं एवं नीलगाय से तिलहनी फसलों में होने वाले नुकसान को कम करने के लिये कान्टेदार तारबन्दी महत्पूर्ण एवं उपयोगी कार्य है।

एनएमओओपी योजना अन्तर्गत कान्टेदार तारबन्दी कार्यक्रम वर्ष 2017–18 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :–

### अ–अनुदान की पात्रता :–

1. इस योजना का लाभ लघु–सीमान्त कृषकों को ही दिया जायेगा।
2. कृषक के नाम न्यूनतम कृषि योग्य आधा हैक्टेयर (0.5 है.) का स्वामित्व हो तथा सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम आधा हैक्टेयर भूमि उनके हिस्सें में हो, तारबन्दी हेतु अनुदान के पात्र होंगे।
3. कृषक द्वारा तारबन्दी करते समय खेत की वस्तुस्थिती के आधार पर सही प्रकार से लेआउट बनाकर अत्यावश्यक साइड में प्राथमिकता के आधार पर तारबन्दी करवायी जावे। किसी कृषक द्वारा खेत की उस साइड में जिस साइड में पूर्व में किसी दूसरे कृषक द्वारा विभागीय अनुदान प्राप्त कर तारबन्दी की गई है पर दुबारा तारबन्दी करने पर किसी भी हालत में अनुदान देय नहीं होगा। तथा कृषक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की तारबन्दी का सही प्रकार से उपयोग हो रहा है।
4. एक कृषक को अधिकतम 400 मी. तारबन्दी के लिए अनुदान दिया जायेगा तथा इससे कम लम्बाई की तारबन्दी पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना कर अनुदान देय होगा।
5. कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
6. कृषक के स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू–स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक को भी अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा अथवा इस आशय का सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे कि वे परिवार से अलग रहते है, एवं राशन कार्ड व नरेगा जोब कार्ड अलग बना हुआ है।

7. तारबन्दी कार्य स्वंय के संसाधनों या बैंक ऋण सहायता से, करने पर अनुदान देय होगा।

8. अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि छः माह से अधिक पुरानी नही हो तथा सादा पेपर पर शपथ देगा कि मेरे पास कुल ------ हैक्टर सिंचित एवं ------ हैक्टर असिंचित भूमि है। उसके अतिरिक्त मेरे नाम से कोई अन्य जमीन नहीं है।

9. आवंटित कुल लक्ष्यो मे से, जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कृषकों को लाभान्वित किया जावे तथा प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता प्रदान की जावे। अजा/अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें कृषक श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।

10. तारबन्दी कार्य व्यक्तिगत लाभ की योजना होने के कारण किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जावें।

11. मिशन अन्तर्गत निर्मित तारबन्दी में किसी प्रकार का विद्युत करन्ट प्रवाहित नहीं किया जायेगा, ताकि जनधन/पशुधन को होने वाली हानि से बचाजा सके।

12. कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त तारबन्दी का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।

13. जिले को आवंटित लक्ष्यो मे 10–15 प्रतिशत श्रमिक कार्य **मनरेगा** के माध्यम से पूर्ण कराये जा सकते है। इस संबंध मे कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक प8(5)आ. कृ./ज.उ/नरेगा/2014–15/6616–6713 दि. 22.01.2015 के अनुसार दिशा–निर्देशो का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावे। दिशा निर्देश कृषि विभाग की वेब साईट पर भी अपलोड है।

14. जिले हेतु चयनित **"सांसद आदर्श ग्राम योजना"** के तहत आवेदित अधिक से अधिक आवेदनो के आधार पर प्रमुखता से कार्य कराये जावे।

२१७

15. संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) खण्ड द्वारा 2 प्रतिशत, उप निदेशक कृषि (वि.) द्वारा 5 प्रतिशत, संबंधित सहायक निदेशक कृषि (वि.) द्वारा 30 प्रतिशत तथा कृषि अधिकारी द्वारा शत–प्रतिशत निरीक्षण किया जावेगा।

16. जिला स्तर पर आवेदित कृषकों के समस्त रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।

**आवेदन पत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण :–**

**(अ)कियोस्क के माध्यम से आवेदन किये जाने पर**

- कृषक नजदीकी नागरीक सेवा केन्द्र/ई मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन पत्र को पोर्टल से डाउनलोड करा सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा करवायेगा।
- कियोस्ककर्ता मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड़ (scan & upload) करेगा।
- कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा।
- संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी एवं समय समय पर आवेदनों की वस्तु स्थिति (status) का अद्यतन (update) करना होगा।
- इन सेवाओं से संबंधित वस्तु–स्थिति (status) एवं आदेश/प्रमाणपत्र/मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन–लाइन/एस एम एस द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क या स्वयं के माध्यम से छापकर (print-out) प्राप्त किया जा सकता है।
- मूल दस्तावेजों को कियोस्ककर्ता/लोकल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से महीने में दो बार संबंधित विभाग के कार्यालयों में भिजवाया जायेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।

२८

- ऑफ लाईन आवेदन पत्र नहीं लिये जावेगें।

**ब–आवेदक द्वारा स्वयं ही ऑन–लाईन आवेदन किये जाने पर :–**

- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन–लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन–लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।

17. आवेदन प्रार्थना पत्र आवेदित दिनांक से यदि **मूल दस्तावेजों** को कियोस्ककर्ता / लोकल सर्विस प्रोवाइडर/कृषक द्वारा स्वयं 30 दिवस की अवधि निकलने के बाद संबंधित कृषि विभाग के कार्यालयों में भिजवाये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
18. तारबन्दी कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर **जियोटेगिंग कर** कृषक खेत का नक्शा मय खसरा संख्या आदि भी अंकित करेंगे ।
19. ऑन लाईन आवेदन से संबंधित रिकार्ड प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व दिए गए प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर सुनिश्चित किया जावे कि :–

    - संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा अनुदान हेतु पात्र, कान्टेदार तारबन्दी की पत्रावलियों का पंजीयन कर 15 दिवस मे कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर कार्य कराये जाने हेतु ''प्रशासनिक स्वीकृति'' जारी करेगा।
    - पात्र कृषक का फिल्ड स्तरीय निरीक्षण संबंधित सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक द्वारा तीन दिवस मे पूर्ण कर पत्रावली संबंधित कार्यालय मे प्रस्तुत करेगा।
    - कार्यालय द्वारा जारी ''प्रशासनिक स्वीकृति'' के संबंध मे संबंधित कृषक को क्षेत्रिय सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक द्वारा हस्तगत कराया जावेगा जिससे कृषक कार्य प्रारम्भ कर सके।

२८

20. कृषक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त भौतिक सत्यापन क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी के साथ सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भी कराया जा सकता है। भौतिक सत्यापन का कार्य सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किये जाने पर संबंधित क्षेत्रिय कृषि पर्यवेक्षक व कृषक के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
21. यदि भौतिक सत्यापन के समय तारबन्दी कार्य विभागीय मापदण्ड के अनुरुप नही है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता कृषक को मय मापदण्ड व कारण सहित हस्तगत कराई

जावेगी। तारबन्दी के भौतिक सत्यापन उपरान्त कृषकों को अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान कृषक के बैंक A/C में सीधे स्थानान्तरित किया जावेगा।

22. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय कान्टेदार तारबन्दी के भुगतान स्वीकृति हेतु वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद कार्यालय के माध्यम से अपने संबंधित खण्डीय कार्यालय को प्रेषित करेगा तथा संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीय कार्यालय वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

23. कृषक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त संबंधित कार्यालय स्तर से सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीय कार्यालय वित्तिय स्वीकृति जारी करते हुए कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान केवल आदाता के खाते में देय **(A/c payee only)** होगा।

24. प्रत्येक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् एवं खण्ड कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

25. कृषक द्वारा तारबन्दी कार्य पूर्ण उपरान्त निर्मित संरचना पर/के नजदीक लोहे के बोर्ड पर निम्नानुसार विवरण,

    (अ) कृषि विभाग अनुदान सहायता से निर्मित तारबन्दी

    (ब) एनएमओओपी वर्ष 2017–18

    (स) भौतिक सत्यापन कर्ता अधिकारी का नाम......................व दूरभाष सं.............

    (स) लाभान्वित कृषक श्री ...................... पुत्र श्री .................... दूरभाष सं................... ....ग्राम .................. पंचायत समिति ................. जिला ...............

    (द) स्वीकृत अनुदान राशि ............ रूपये

    अंकित किया जाना आवश्यक है तथा उक्त विवरण के साथ लाभान्वित कृषक का फोटो भौतिक सत्यापन के समय पत्रावली में संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

<u>अनुदान सीमा</u> : –

भारत सरकार की एनएमओओपी अन्तर्गत कान्टेदार तारबन्दी पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 40,000/– प्रति 400 रनिंग मीटर जो भी कम हो अनुदान देय है। जिसमें कम से कम 150 से.मी. ऊँचाई की कांटेदार तारों की बाड़बन्दी का कार्य, मय 3.00–3.00 मीटर की दूरी पर प्रीकास्ट सीमेन्ट कंक्रीट पिलर अथवा लोहे के एंगल भूमि में 30 x 30 x 45 सेमी, सीमेन्ट कंक्रीट 1:3:6 में स्थापित करना। प्रीकास्ट 2

सीमेन्ट कंक्रीट पिलर का आकार ऊपर से 10 x 10 सेमी एवं नीचे से 15 x 15 सेमी, प्रत्येक 10 वे पिलर एवं कोने के पिलर को इसी आकार के अतिरिक्त पिलर से मजबूत करना। दो पिलरों के बीच 6 लाईन में होरिजोन्टल एवं 2 डाइगोनल काले कांटेदार तारों को मजबूती से बांधना मय मिट्टी खुदाई, पानी देने आदि का पूर्ण कार्य किया जायेगा।

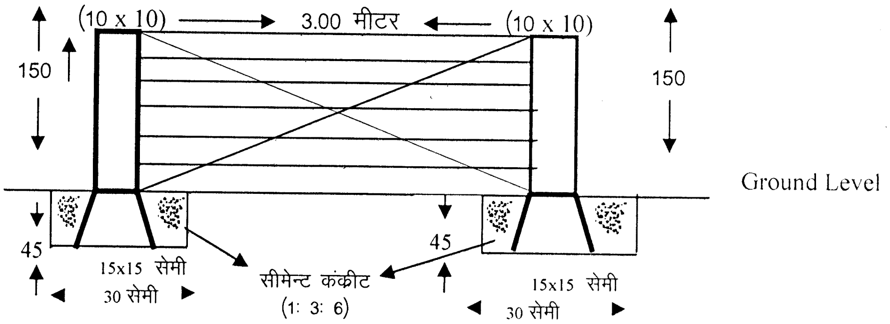


26. "तारबन्दी निर्माण उपरान्त भुगतान किये जाने के साथ लाभान्वित कृषक सूची कृषि आयुक्तालय की एन.एम.ओ.ओ.पी शाखा को भिजवाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सूची विभाग की वेब पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।"

२१५

# ऑन लाईन कांटेदार तारबन्दी कार्यक्रम का अनुदान प्रार्थना पत्र वर्ष 2017–18

| |
|---|
| कृषक का फोटो |

सेवा में,

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)

जिला ..............................

1. कृषक का नाम ................................................... पिता का नाम ...................................................
2. गाँव............................पंचायत समिति........................ तहसील..................जिला..........................
3. मोबाइल नम्बर.................................................
4. जाति .................................................................
5. आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड संख्या(अनिवार्य) ........................................................
6. कृषक कक्षा.......................................................
7. कृषक जमीन विवरण (हैक्टर में)

   (a) सिचांई (हैक्टर में).....................................

   (b) असिंचित (हैक्टर में)..................................

   कुल जमीन (हैक्टर में).....................................
8. खसरा नम्बर (जिसमें तारबन्दी का प्रस्ताव ) .........................
9. सिंचाई के स्त्रोत...............................................
10. क्षेत्र सीमा का नजरिया नक्शा

| आकार | नाम | पिता / पति का नाम |
|---|---|---|
| उत्तर | | |
| दक्षिण | | |
| पूर्व | | |
| पश्चिम | | |

11. बैंक का नाम ..............................................................
12. शाखा का नाम ..........................................................
13. आई.एफ.एस.सी कोड ..............................................
14. खाता संख्या ..............................................................
15. आधार / भामाशाह कार्ड सं. .....................................

२७

## घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि पूर्व मे मेरे द्वारा तारबन्दी पर अनुदान प्राप्त नही किया है तथा प्राप्त अनुदान का दुरूपयोग नहीं करूंगा / करूगीं। उपरोक्त शर्तों की अवहेलना करने पर विभाग पूरी राशि वसूल करने का तथा वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

**गवाह के हस्ताक्षर एवं नाम** — **कृषक का नाम एवं हस्ताक्षर**

**मय पूर्ण पता** — **दूरभाष सं.** ......................

## शपथ पत्र

मैं --------------------पुत्र श्री ---------------------- ग्राम ----------------तहसील---------------- जिला ---------- का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पास कुल ------------ हैक्टर सिंचित एवं ------------------ हैक्टर असिंचित जमीन है। मैं यह भी शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ग्राम------------खसरा नम्बर-------- जिसमें तारबन्दी कार्य किया जा रहा है, मै पूर्व में तारबन्दी पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

हस्ताक्षर

(नाम कृषक)

## आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री --------------------- पुत्र श्री -------------------- निवासी ---------------------- का कांटेदार तारबन्दी पर अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जिसका पंजीयन क्रमांक ------------ दिनांक ---------- पर दर्ज किया है। अनुदान का भुगतान पात्रता एवं बजट उपलबध होने पर ही संभव होगा।

२१८

हस्ताक्षर सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)

## प्रगति प्रपत्र

| वर्ष 2017–18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| योजना | | | | | | | | | | | | | माह :– | | | | | | | | | | | | | |
| | | लक्ष्य | | | | | | | | | | | बजट आवंटन | | | | | प्रगति | | | | | | | | |
| क. सं. | कार्यालय का नाम | भौतिक लक्ष्य | | | | | वित्तिय लक्ष्य | | | | | | | | | | | भौतिक प्रगति | | | | | वित्तिय प्रगति | | | |
| | | सा. | अ. जा. | अ. ज. जा. | योग | महिला कृषक सं. | सा. | अ. जा. | अ. ज. जा. | योग | महिला कृषक सं. | सा. | अ. जा. | अ. ज. जा. | योग | महिला कृषक सं. | सा. | अ. जा. | अ. ज. जा. | योग | महिला कृषक सं. | सा. | अ. जा. | अ. ज. जा. | योग | महिला कृषक सं. |
| 1 | उप निदेशक कृषि (वि.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सहायक निदेशक कृषि (वि.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सहायक निदेशक कृषि (वि.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सहायक निदेशक कृषि (वि.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | योग जिला | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Physical and Financial Target of Barbed wire Fencing year 2017-18

| | Scheme: NMOOP | | | | | | Implementing Office: Dy. D. Ag.(Ext) Zila Parishad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rate of Assistance- | | Upto 50% of cost or Rs. 100 per meter which ever is less | | | | | | | | | |
| S.No. | Name of the | Unit | Physical Target (Metre) | | | | | Financial Provision ( In lac Rs.) | | | | |
| | | | Gen. | SCP | TSP | Total | Women Flow @30% of total | Gen. | SCP | TSP | Total | Women Flow @30% of total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | AJMER | Metre | 11200 | 2400 | 400 | 14000 | 4200 | 11.20 | 2.40 | 0.40 | 14.00 | 4.20 |
| 2 | ALWAR | Metre | 29600 | 6000 | 4000 | 39600 | 11880 | 29.60 | 6.00 | 4.00 | 39.60 | 11.88 |
| 3 | BANSWARA | Metre | 1200 | 400 | 4400 | 6000 | 1800 | 1.20 | 0.40 | 4.40 | 6.00 | 1.80 |
| 4 | BARAN | Metre | 32800 | 8800 | 13800 | 55400 | 16620 | 32.80 | 8.80 | 13.80 | 55.40 | 16.62 |
| 5 | BARMER | Metre | 8800 | 2000 | 800 | 11600 | 3480 | 8.80 | 2.00 | 0.80 | 11.60 | 3.48 |
| 6 | BHARATPUR | Metre | 27200 | 6800 | 1600 | 35600 | 10680 | 27.20 | 6.80 | 1.60 | 35.60 | 10.68 |
| 7 | BHILWARA | Metre | 12000 | 2400 | 2000 | 16400 | 4920 | 12.00 | 2.40 | 2.00 | 16.40 | 4.92 |
| 8 | BIKANER | Metre | 26800 | 7200 | 0 | 34000 | 10200 | 26.80 | 7.20 | 0.00 | 34.00 | 10.20 |
| 9 | BUNDI | Metre | 15600 | 4400 | 5600 | 25600 | 7680 | 15.60 | 4.40 | 5.60 | 25.60 | 7.68 |
| 10 | CHITTOR | Metre | 20000 | 4000 | 4000 | 28000 | 8400 | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 28.00 | 8.40 |
| 11 | CHURU | Metre | 10800 | 3200 | 0 | 14000 | 4200 | 10.80 | 3.20 | 0.00 | 14.00 | 4.20 |
| 12 | DUASA | Metre | 8400 | 3200 | 4400 | 16000 | 4800 | 8.40 | 3.20 | 4.40 | 16.00 | 4.80 |
| 13 | DHOLPUR | Metre | 8800 | 2400 | 400 | 11600 | 3480 | 8.80 | 2.40 | 0.40 | 11.60 | 3.48 |
| 14 | DUNGARPUR | Metre | 1600 | 400 | 4400 | 6400 | 1920 | 1.60 | 0.40 | 4.40 | 6.40 | 1.92 |
| 15 | GANGANAGAR | Metre | 25200 | 14800 | 0 | 40000 | 12000 | 25.20 | 14.80 | 0.00 | 40.00 | 12.00 |
| 16 | HANUMANGARH | Metre | 14400 | 5600 | 0 | 20000 | 6000 | 14.40 | 5.60 | 0.00 | 20.00 | 6.00 |
| 17 | JAIPUR | Metre | 24400 | 4800 | 2400 | 31600 | 9480 | 24.40 | 4.80 | 2.40 | 31.60 | 9.48 |
| 18 | JAISALMER | Metre | 10400 | 2000 | 800 | 13200 | 3960 | 10.40 | 2.00 | 0.80 | 13.20 | 3.96 |
| 19 | JALORE | Metre | 28400 | 7200 | 4400 | 40000 | 12000 | 28.40 | 7.20 | 4.40 | 40.00 | 12.00 |
| 20 | JHALAWAR | Metre | 35600 | 7600 | 8000 | 51200 | 15360 | 35.60 | 7.60 | 8.00 | 51.20 | 15.36 |
| 21 | JHUNJHUNU | Metre | 10800 | 2000 | 400 | 13200 | 3960 | 10.80 | 2.00 | 0.40 | 13.20 | 3.96 |
| 22 | JODHPUR | Metre | 37200 | 7200 | 2000 | 46400 | 13920 | 37.20 | 7.20 | 2.00 | 46.40 | 13.92 |
| 23 | KAROLI | Metre | 9200 | 3600 | 4400 | 17200 | 5160 | 9.20 | 3.60 | 4.40 | 17.20 | 5.16 |
| 24 | KOTA | Metre | 28000 | 7600 | 4400 | 40000 | 12000 | 28.00 | 7.60 | 4.40 | 40.00 | 12.00 |
| 25 | NAGAUR | Metre | 26400 | 7200 | 0 | 33600 | 10080 | 26.40 | 7.20 | 0.00 | 33.60 | 10.08 |
| 26 | PALI | Metre | 27200 | 7200 | 2800 | 37200 | 11160 | 27.20 | 7.20 | 2.80 | 37.20 | 11.16 |
| 27 | PRATAPGARH | Metre | 6400 | 1600 | 13600 | 21600 | 6480 | 6.40 | 1.60 | 13.60 | 21.60 | 6.48 |
| 28 | RAJSAMAND | Metre | 4400 | 800 | 800 | 6000 | 1800 | 4.40 | 0.80 | 0.80 | 6.00 | 1.80 |
| 29 | SAWAI MADHOPUR | Metre | 21200 | 6000 | 9200 | 36400 | 10920 | 21.20 | 6.00 | 9.20 | 36.40 | 10.92 |
| 30 | SIKAR | Metre | 11600 | 2400 | 400 | 14400 | 4320 | 11.60 | 2.40 | 0.40 | 14.40 | 4.32 |
| 31 | SIROHI | Metre | 8000 | 2800 | 4400 | 15200 | 4560 | 8.00 | 2.80 | 4.40 | 15.20 | 4.56 |
| 32 | TONK | Metre | 34400 | 9200 | 8000 | 51600 | 15480 | 34.40 | 9.20 | 8.00 | 51.60 | 15.48 |
| 33 | UDAIPUR | Metre | 2800 | 400 | 2800 | 6000 | 1800 | 2.80 | 0.40 | 2.80 | 6.00 | 1.80 |
| | TOTAL | | **580800** | **153600** | **114600** | **849000** | **254700** | **580.80** | **153.60** | **114.60** | **849.00** | **97.68** |